लेख

अपमानजनक हत्याएं

ऋतु मेनन

प्यार के सपने संजोए, 18 वर्षीय मैमुन ने शादीशुदा व दो बच्चों के पिता इदरीस के साथ भाग जाने की गलती की। प्रेमान्ध होने के साथ-साथ यह उसकी अपने चाचा के साथ निकाह से बचने की कोशिश थी। मैमुन को वापस लाकर ज़बरदस्ती उसका निकाह पड़ोस के एक गंवार आदमी से कर दिया गया। निकाह के बाद घर लौटते समय पति ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे वेश्या कहते हुए अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। उसके बाद गले से नाभि तक चाकू से काट कर सड़क पर फेंक दिया। परिवार की "इज़्ज़त" पर "कलंक" लगाने पर यह मैमुन की "सज़ा" थी।

देश के एक दूसरे हिस्से में गुंडों ने प्रभा को बिजली के खंभे से बांध कर मारा-पीटा और उसका सर मूंड दिया। प्रभा ने अपने एक रिश्तेदार के साथ रात गुज़ारी थी।

पास के एक जोहरी गांव में यशपाल की बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं होने दी गई क्योंकि वह जाति के तयशुदा मानकों के दायरे के बाहर थी।

भारत में सम्मान बचाने के लिए औरतों की हत्या करना सिर्फ़ मुसलमानी चलन नहीं है। ये अपमानजनक हत्याएं जाति व पंथ से परे हैं। इस समझौते में हिन्दू, सिख, मुसलमान, छूत, "अछूत" सभी शामिल हैं जिसमें "मर्दानी आन" का बदला अपनी औरतों की हत्या करके लिया जाता है। ये कत्ल गांव के बड़े-बुजुर्गों व जाति पंचायतों की सक्रिय मिलीभगत से, सार्वजनिक रूप से या चुपचाप परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। कत्ल की वजह कुछ भी हो सकती है— धर्म के दायरे में रहते हुए परन्तु जायज़ मानकों के बाहर औरत का प्रेम संबंध—जैसा मैमुन ने किया, समुदाय व धर्म की सीमाओं को लांघकर जाति-समुदाय या गैर-जातीय विवाह का जुर्म या औरत द्वारा जार-कर्म करने की हिमाकत। उकसाने वाले कारण कोई भी हो परन्तु सभी वजहें यह साबित करने के लिए काफी हैं कि औरत की यौनिकता के परेशान कर देने वाले सवाल के हिंसक 'समाधान' के लिए समाज में एक साझी पितृसत्तात्मक सहमति है। औरतों का यौनिक दर्जा- चाहे 'पवित्र', 'कलंकित' या 'शुद्ध' कोई भी हो एक कठोर और

सख्त नियंत्रण का मसला है और इसकी मुखालफ़त करने की कोशिश की सज़ा मौत भी हो सकती है।

भारत के कुछ महिला समूह व नारीवादी जिन्होंने इस तरह के मामलों को सार्वजनिक व कानून की नज़र में लाने के लिए सक्रिय कार्यवाई की है, औरतों व कुछ पुरुषों पर होने वाली हिंसा के इन नृशंस रूपों को 'सम्मान हत्या' व 'प्रतिष्ठा से जुड़े जुर्म' के रूप में चरितार्थ करने पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका मत है कि इनको 'दूसरे' अपराधों की श्रेणी में रखकर हम इनके वास्तविक स्वरूप को अनदेखा कर रहे हैं और इन्हें मध्यकालीन, असामान्य व विवेकहीन समाज का हिस्सा मान रहे हैं। उनकी मांग है कि इन हत्याओं को उनके सही स्वरूप यानी सामाजिक व आर्थिक भेदभाव या फिर वैध (जाति, धार्मिक व जातीय समुदाय) मानकों को कायम रखने के लिए, औरतों पर यौनिक नियंत्रण व काबू करने के प्रयासों के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये सभी विभाजन सीमाओं की कट्टरता पर आश्रित हैं जो सजातीय-सगोत्र दायरों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं और इसमें औरतों की यौनिकता की सख्त पहरेदारी महत्वपूर्ण हैं। संबंधों में 'चुनाव' इस निरंतरता को भंग करके समुदाय की राजनैतिक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब एक उच्च जाति की औरत एक दलित पुरुष के साथ विवाह करने के पश्चात अपनी विरासत पर अधिकार जताती है तब वह असमानता को चुनौती देकर हर लिहाज़ से यथापूर्व स्थिति को अस्थिर कर देती है।

ऐमनेस्टी इंटरनेशनल की पूरना सेन ने "अपमानजनक हत्याओं" की छः मुख्य विशेषताएं चिन्हित की हैं— पितृसत्तात्मक लैंगिक संबंध जो औरतों की यौनिकता नियंत्रण पर आश्रित हैं; महिलाओं के व्यवहार पर नज़र व निगरानी रखने में महिलाओं की भूमिका; सीमाओं को लांघने के दुःसाहस के लिए सज़ा का सामूहिक निर्णय; हत्याओं में औरतों की भागीदारी की संभावना; जबरन हत्याओं व आज्ञापालन के माध्यम से 'सम्मान' की वापसी; इन हत्याओं के लिए राज्य व सामाजिक सहमति- "सम्मान" को इन हत्याओं के मान्य मकसद, वैधता व सफाई के रूप में पहचान व स्वीकृति।

मैमुन के मामले में उसकी शादी परिवारवालों द्वारा आर्थिक फायदों के लालच तथा परिवार व सामाजिक उम्मीदों की पूर्ति को मद्देनज़र रखकर तय की गई थी। जब मैमुन ने दोनों का विरोध किया तो सबसे पहली प्रतिक्रिया उसकी मां की थी— *'तू काफ़िर है, तूने अपने ही गांव में एक निचली जाति के शादीशुदा मर्द से विवाह किया है। मैं तुझे मार डालूंगी। अगर उन्होंने तुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे काटकर फेंक दूंगी।'* जब *राष्ट्रीय महिला आयोग* के अफ़सरों की टोली गांव में छानबीन करने पहुंची तो गांववालों ने उनको घेरकर नारे लगाये, *'ये हमारे रिवाज हैं, इनमें कोई दखल नहीं दे सकता। न इंसान, न भगवान।'*

ऊपर लिखे दोनों अन्य मामलों में, पूरे गांव की 'प्रतिष्ठा की रक्षा' के लिए जाति पंचायत द्वारा फैसला लिया गया था। जाति पंचायतें अवैध व असंवैधानिक होती हैं। इनके पास चुनी गई पंचायतों की तरह स्वशासन का संवैधानिक हक़ नहीं होता। अपने तहत 'प्रशासित' समुदाय में ये नैतिक पहरेदारों की भूमिका अदा करती हैं जो अक्सर इन्हें विरासत में मिलती है। इसके संरक्षक सदस्य अक्सर 'भ्रष्ट' होते हैं तथा न्याय करने के समय 'जाति' पदानुक्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है।

सम्मान हत्या में सम्मान कैसा?

'अपमानजनक' हत्याओं की रिपोर्ट करने वाले महिला समूहों व कार्यकर्त्ताओं के अनुभव इन तथ्यों का खुलासा करते हैं। *जनवादी महिला समिति* ने उत्तर भारत के हरियाणा राज्य में हुई हत्याओं का दस्तावेज़ीकरण किया है। उनके अनुसार पुलिस इन घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करने से कतराती है क्योंकि इनमे राज्य पक्षों व जाति पंचायतों की सांठ-गांठ होती है। पिछले पांच सालों से पुलिस ने जोहरी गांव में कदम नहीं रखा है; बिजनौर ज़िले में जब प्रभा के साथ मार-पीट की गई तब पुलिस का सिपाही मूक दर्शक बना खड़ा था। जब संगठन के कार्यकर्त्ताओं ने इन हत्याओं का खुलासा किया तब गांववालों व पंचायत ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। इन हत्याओं में औरतों की हत्या के तथ्यों को स्थापित करने के लिए ज़रूरी पोस्टमार्टम भी नहीं किये गये थे। हाल में कार्यकर्त्ताओं को यह भी कहा गया कि उन्हें स्थानीय पंचायत को 'सुरक्षा राशि' देनी चाहिए क्योंकि आक्रोश से भरे गांववालों व परिवारों से उनकी जान को खतरा है।

कभी-कभार जब कोई मामला *राष्ट्रीय महिला आयोग* या *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग* के पास आता है तब अदालत से महिला के पक्ष में होने वाले फैसले को 'खूनी चौकसी' के ज़रिए बदल दिया जाता है। मैमुन जिसके पति ने उसे मरणासन्न अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया था की देखरेख एक बुज़ुर्ग दम्पति ने की। स्वस्थ हो जाने के बाद मैमुन वापस इदरीस के पास चली गई। *राष्ट्रीय महिला आयोग* की मदद से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मैमुन के पक्ष में हुआ। परन्तु चार वर्ष बाद मैमुन के छोटे भाई ने उसका कत्ल कर दिया। भाई का कहना था कि सिर्फ़ उसकी बहन की मौत ही परिवार के कलंकित 'सम्मान' की भरपाई कर सकती थी।

इन घटनाओं से यद्यपि हमारे ज़ेहन में अंधकार-युग में रहने वाले बर्बर समाज की छवि कौंधती है परन्तु इसके विपरीत ये हत्याएं हमारे आधुनिक समाज में, दिन दहाड़े, कानून के संरक्षकों की जानकारी के साथ घटती हैं। ये 'हत्याएं' राज्य के विरुद्ध अपराध होने के साथ-साथ खास समुदाय व परिवारों के ख़िलाफ़ भी जुर्म हैं। फिर भी राज्य, भूल-चूक व पितृसत्तात्मक सुविधाओं जिसमें उल्लंघनकर्त्ता की हत्या का अधिकार भी शामिल है व मूक समर्थन के ज़रिए खुद को अपराधकर्म करने वालों के साथ सम्मिलित कर लेता है। ऐसा लगता है कि राज्य की नज़र में भी औरत का शरीर पुरुष की जागीर है जिसका वह अपनी मर्ज़ी के अनुसार निपटारा कर सकता है।

> *"जाति पंचायतें राज्य के कानूनी निर्णय करने के दायित्व को विस्थापित करती हैं तथा अनौपचारिक व गैर-राज्य न्यायिक ढांचों को उठाकर कानून द्वारा मान्य 'रिवाजी' व्यवहार में परिवर्तित कर देती हैं। ये ढांचे सामाजिक व लैंगिक समानता के नियमों को नहीं पहचानते व सदैव पितृसत्तात्मक लैंगिक संबंधों को पुनर्स्थापित करते हैं। उनकी इस निर्णायक सत्ता को राज्य संरचनाएं अपनी निष्क्रियता से "वैधता" प्रदान करती हैं।"*
>
> **इंदिरा जयसिंग**
> *सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता*

ऋतु मेनन *नारीवादी लेखिका व विमेन अनलिमिटेड, दिल्ली की संस्थापक हैं।*